न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 139/2015 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2015/00190

उनवानी :–

1– भरत सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

2– यदुवीर सिंह उर्फ जदुवीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

3– दलवीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

4– सोहन सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

5– बदन सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

6– मोहन सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

7– रमेश पुत्र गौतम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

8– सुरेश पुत्र गौतम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।?

9– किशन सिंह पुत्र ओमी सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला अस्तामनिया तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट––––––––

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर भरतपुर

2– तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर

रेस्पो0––––––––

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

भरतपुर दिनांक 07.08.2015 मु0न0 55/2013 उनवानी

भरतसिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह एड0

2– श्री रवीन्द्र सिंह फौजदार(राजकीय अधिवक्ता) रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

निर्णय दिनांक 09.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 989, 1857, 1876, 1877, 1983, 1954, 1959, 1968, 1969, 1972, 2092 किता 11 रकवा 2.66 हैक्ट0 जो गत खसरा नम्बर 1073, 1419, 1401, 1222, 1230 ,1231 ,1224, 1391 वाके ग्राम नगला अस्तामनिया से बने है जो तहसील एवं जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधि0 न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का वाद आंशिक तौर पर डिक्री किया है। अपीलार्थी ने अपने वाद में त्रुटिवश खसरा नम्बर 2092 के स्थान पर 2052 अंकित कर दिया था। उक्त त्रुटि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सुधारी जा सकती थी। अतः उक्त त्रुटि को सुधारते हुऐ अपीलार्थी को अन्य आराजीयात के साथ खसरा नम्बर 2092 का भी खातेदार घोषित किया जावे ।

बचाव मे राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पक्षकार को अधीनस्थ न्यायालय में ही त्रुटि को सुधरवाना चाहिए था । अपील के स्तर पर इसमें कोई अनुतोष दिया जाना उपयुक्त नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अधि0 न्यायालय ने अपीलार्थी का वाद केवल टंकण की त्रुटि वश आंशिक रूप से खारिज किया है । इस त्रुटि से अधीनस्थ न्यायालय के अन्य विवेचन पर कोई असर नही पडता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.8.2015 को इस सीमा तक संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अन्य आराजीयात के साथ–साथ खसरा नम्बर 2092 का भी खातेदार काश्तकार उन्ही शर्तो पर घोषित किया जावे।

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी को अन्य आराजीयात के साथ–साथ खसरा नम्बर 2092 का भी खातेदार काश्तकार उन्ही शर्तो पर घोषित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 9.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official